भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1958

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

तमिलनाडु में पीएमईजीपी

1958. डॉ. टी.सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वित्त वर्षों के दौरान तमिलनाडु सें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पीएमईजीपी और सीजीटीएमएसई योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदन या निधि जारी करने में विलंब के संबंध में तमिलनाडु सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरूवल्लूर जैसे शहरी जिलों में लाभार्थियों के अनुमोदन से संबंधित संशोधित पात्रता मानदंडों के कारण प्रक्रियागत विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में एमएसएमई, विशेषकर शहरी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र समूहों को समय पर स्वीकृति देने और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक मांग- केंद्रित स्कीम है। ऋण-दाता संस्थान के रूप में बैंक, परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं तथा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर स्वयं के ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु में बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	बैंक द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
2022-23	11,475
2023-24	16,355
2024-25	12,057

(ख) तमिलनाडु सरकार से पीएमईजीपी और सीजीटीएमएसई स्कीमों के संबंध में अनुमोदन अथवा या निधि जारी करने में हुए विलंब पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसका कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जाता है। केवीआईसी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, तमिलनाडु के शहरी जिलों जैसे चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर में इस स्कीम में किसी भी प्रकार का प्रक्रियात्मक विलंब नहीं देखा गया।

(घ) तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में लाभों की समय पर संस्वीकृति और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

i. स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और कयर बोर्ड के राज्य कार्यालयों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ii. स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iii. बैंकों द्वारा उचित ऋण संस्वीकृति और मार्जिन मनी संवितरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर शीर्ष स्तरीय बैंकर्स बैठक, राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठकें और जिला स्तरीय बैंकर्स बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iv. लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी के समायोजन तक पीएमईजीपी आवेदन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक पीएमईजीपी पोर्टल मौजूद है।

*****